26

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2022-23)

सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, कैंटीन स्टोर विभाग, भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण और रक्षा पेंशन

(मांग सं. 19 और 22)

छब्बीसवां प्रतिवेदन

[केवल टिप्पणियाँ/सिफारिशें]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

छब्बीसवां प्रतिवेदन

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2022-23)

सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, कैंटीन स्टोर विभाग, भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण और रक्षा पेंशन

(मांग सं.19 और 22)

16.3.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

16.3.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

समिति (2021-22) की संरचना .... (4)

प्राक्कथन .... (6)

प्रतिवेदन

भाग - दो

टिप्पणियाँ / सिफारिशें **7**

रक्षा संबंधी स्थायी समिति की संरचना (2021-22)

श्री जुएल ओराम - सभापति

लोक सभा

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री नितेश गंगा देब
4. श्री राहुल गांधी
5. श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा
6. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
7. चौधरी महबूब अली कैसर
8. श्री रतन लाल कटारिया
9. डॉ. रामशंकर कठेरिया
10. श्री श्रीधर कोटागिरी
11. श्रीमती राजश्री मल्लिक
12. श्री उत्तम कुमार रेड्डी नलमाडा
13. डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर
14. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
15. श्री जुगल किशोर शर्मा
16. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
17. श्री प्रताप सिम्हा
18. श्री बृजेन्द्र सिंह
19. श्री महाबली सिंह
20. श्री दुर्गा दास उईके
21. रिक्त

राज्य सभा

22. डॉ. अशोक बाजपेयी
23. श्री एन. आर. इलांगो
24. श्री प्रेम चंद गुप्ता

25. श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी

26. श्री शरद पवार

27. श्री वी. लक्ष्मीकांत राव

28. श्री कामाख्या प्रसाद तासा

29. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

30. ले. जन. (डॉ.) डी. पी. वत्स (सेवानिवृत्त)

31. श्री के. सी. वेणुगोपाल

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री एम के मधुसूदन	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव
4.	श्रीमती शिल्पा कान्त	-	समिति अधिकारी
4.	श्रीमती प्रीति नेगी	-	सहायक समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, कैंटीन स्टोर विभाग, भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं.19 और 22) के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी यह छब्बीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें 09.02.2022 लोक सभा के पटल पर रखी गई थीं। समिति ने 16, 17, और 18 फरवरी 2022 को रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति द्वारा 14 मार्च, 2022 को हुई बैठक में प्रारूप प्रतिवेदनो पर विचार किया गया और इसे स्वीकार किया गया।

3. समितिरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और सेवाओं संगठनों के प्रतिनिधियों का समिति / के समक्ष उपस्थित होने औरअनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में समिति द्वारा वांछित सामग्री और जानकारी उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद करती है ।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों सिफारिशों/को प्रतिवेदन के भाग - दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
<u>10 मार्च, 2022</u>
19 फाल्गुन,1943(शक)

जुएल ओराम
सभापति
रक्षा संबंधी स्थायी समिति

भाग दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

सामान्य रक्षा बजट

रक्षा मंत्रालय का बजट और अनुदानों की मांगें 2022-23: एक विहंगम दृष्टि

रक्षा बजट को चार अनुदान मांगों अर्थात् मांग संख्या 19 - रक्षा मंत्रालय (सिविल), मांग संख्या 20 - रक्षा सेवाएं (राजस्व), मांग संख्या 21 - रक्षा सेवा पर पूंजीगत परिव्यय और मांग संख्या 22 - रक्षा (पेंशन) के तहत वर्गीकृत/समेकित किया गया है। मांग संख्या 19 और 22 सिविल/पेंशन अनुमानों के अंतर्गत आती हैं और मांग संख्या 20 और 21 रक्षा सेवा अनुमानों के अंतर्गत आती हैं। समिति यह भी नोट करती है कि रक्षा मंत्रालय सचिवालय, रक्षा लेखा विभाग, कैंटीन स्टोर विभाग, रक्षा संपदा संगठन, तटरक्षक संगठन, जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (जम्मू और कश्मीर एलआई), सीमा सड़क संगठन आदि के सिविल व्यय के लिए आवश्यकताओं के लिए मांग संख्या 19- एमओडी (सिविल) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। रक्षा सेवा अनुमान (डीएसई) रक्षा मंत्रालय के अनुदान संख्या 20 और 21 के अंतर्गत शामिल रक्षा सेवाओं और संगठनों/सेवाओं के लिए ब्योरे-वार अनुमानों को दर्शाता है। डीएसई के तहत कवर की गई सेवाएं और संगठन हैं सेना (राष्ट्रीय कैडेट कोर, महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन, सैन्य फार्म और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना सहित) हैं, नौसेना (संयुक्त स्टाफ सहित), वायु सेना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और पूर्ववर्ती रक्षा आयुध निर्माणियों / आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवा) {7 नवनिर्मित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम} मांग संख्या 22 में तीनों सेनाओं अर्थात् सेना, नौसेना और वायु सेना के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (रक्षा असैनिक कर्मचारियों सहित) के संबंध में पेंशन प्रभार (सेवा पेंशन, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता

पेंशन, पेंशन का कम्प्यूटेड मूल्य, अवकाश नकदीकरण आदि) का प्रावधान है। समिति ने नोट किया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रक्षा मंत्रालय के लिए कुल आवंटित बजट ₹ 5,25,166.15 करोड़ है। इस राशि में से, 73.38 प्रतिशत का सबसे बड़ा हिस्सा, अर्थात् 3,85,370.15 करोड़ रुपये रक्षा सेवा अनुमानों (अनुदान संख्या 20 और 21) के लिए आवंटित किए गए हैं। रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (अनुदान संख्या 21) को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1,52,370 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। रक्षा पेंशन (अनुदान संख्या 22) को कुल बजट का 22.79 प्रतिशत यानी 1,19,696 करोड़ रुपये मिला है। कुल रक्षा बजट का शेष 3.83 प्रतिशत अर्थात 20,100 करोड़ रुपये रक्षा मंत्रालय (सिविल) (अनुदान संख्या 19) के लिए आबंटित किए गए हैं।

रक्षा बजट 2022-23 के तहत अनुमान और आवंटन

2. समिति ने यह देखा है कि रक्षा के बजटीय प्रावधानों के विस्तृत विश्लेषण के बाद, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6,33,346.02 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की तुलना में आवंटित रक्षा बजट में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की कटौती की गई है यानी 5,25,166.15 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। समिति ने इस संबंध में मंत्रालय की दलील को नोट किया कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान, अनुमानों की तुलना में कम आबंटन किए गए हैं। तथापि, बजट अनुमान स्तर पर अधिक अनुमान संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़े हुए आबंटन का औचित्य सिद्ध करते हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय द्वारा मंत्रालयों/संगठनों की व्यय क्षमता के आधार पर अतिरिक्त निधियां आबंटित की जाती हैं। समिति ने रक्षा मंत्रालय के इस आश्वासन पर भी ध्यान दिया है कि रक्षा सेवाओं की प्रचालनात्मक तैयारी प्रभावित नहीं होगी और यदि

आवश्यक हुआ तो संशोधित अनुमान स्तर पर निधियों के अतिरिक्त आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया जाएगा। इस संदर्भ में, समितिका यह सुचिंतित विचार है कि मंत्रालय के इस आश्वासन कि निधियों की कमी के कारण सेवाओं की प्रचालनात्मक तैयारियों से समझौता नहीं किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त निधियों की मांग संशोधित अनुमान चरण में की जाएगी, के बावजूद अनुमानित और आबंटित निधियों के बीच भारी विसंगति चिंता का विषय है। समिति का यह सुविचारित मत है कि चूंकि रक्षा बजट बलों के लिए राजस्व और पूंजीगत व्यय को पूरा करता है, इसलिए संशोधित अनुमान स्तर पर निधियों के अधिक आबंटन की प्रत्याशा में अधिक अनुमानों की प्रवृत्ति वांछनीय नहीं है क्योंकि यह अपेक्षित और आबंटित रक्षा बजट के बीच भारी अंतर होने की धारणा को बल देता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि व्यावहारिक बजटीय अनुमानों के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से एक प्रविधि तैयार की जा सकती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तंत्र के लिए भी सहयोग की आवश्यकता होगी और कुछ हद तक, बजट और संशोधित अनुमान दोनों स्तरों पर रक्षा मंत्रालय को अपेक्षित निधियों के आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय के आश्वासन की आवश्यकता होगी ताकि हमारे बलों की युद्धक तैयारी इष्टतम स्तर पर बनी रहे।

<u>मुद्रास्फीति की दर की तुलना में रक्षा बजट की वृद्धि</u>

3. समिति ने ध्यान दिया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) मुद्रास्फीति 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर, 2021) में 2020-21 की इसी अवधि में 6.6 प्रतिशत से घटकर 5.2 प्रतिशत (अनंतिम) हो गई और दिसंबर, 2021 में 5.6 प्रतिशत (अनंतिम) दर्ज की गई। मासिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान बढ़कर 12.5 प्रतिशत (अनंतिम)

हो गई। समिति ने यह भी नोट किया कि 2020-21 (वास्तविक) की तुलना में संशोधित अनुमान 2021-22 के स्तर पर रक्षा बजट में प्रतिशत के रूप में मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद वास्तविक वृद्धि (-) 1.66 के बराबर है। समिति ने सिफारिश की है कि मुद्रास्फीति के कारक को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2022-23 **में संशोधित अनुमान चरण में मांगी गई अतिरिक्त निधियों को रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बलों के लिए नियोजित पूंजी और राजस्व व्यय निर्बाध रूप से जारी रहे।**

अनुसंधान और विकास पर व्यय

4. समिति ने नोट किया कि एमओडी (सिविल) बजट के पूंजी खंड में वित्त वर्ष 2021-22 में 5,173.41 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2022-23 में 8049.99 करोड़ रुपये तक 55.60 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। तथापि, वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदत दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करने के बाद समिति को यह ज्ञात हुआ कि रक्षा अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर व्यय पिछले कुछ वर्षों में कम हो रहा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2019-20, 2020-21 और 2021-22 (दिसंबर 2021 तक) में अनुसंधान और विकास पर व्यय क्रमशः 17,779.24 करोड़ रुपये, 16,075.07 करोड़ रुपये और 11,668.79 करोड़ रुपये था। हैरानी की बात है कि वास्तविक व्यय 2019-20 के बाद से बीई आवंटन से भी कम रहा है, जो इस शीर्ष के तहत धन के कम उपयोग की ओर इशारा करता है। समिति का विचार है कि बजट के पूंजीखंड में वृद्धि के साथ-साथ रक्षा अनुसंधान और विकास पर अपेक्षित आबंटन और व्यय भारतीय सशस्त्र बलों की रक्षा आधुनिकीकरण योजनाओं और मेक इन इंडिया के तहत कई पहलों को साकार करने की कुंजी है। इसलिए, हमारे सशस्त्र बलों

को अत्याधुनिक उपकरणों/प्लेटफार्मों/हथियारों से लैस करने और सक्षम बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें खतरे के आभास और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य का जवाब देने के लिए, समिति ने सिफारिश की है कि रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए आबंटित निधियों का पूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। समिति यह भी चाहती है कि संशोधित अनुमान चरण में आवंटित राशि और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुसंधान एवं विकास पर किए गए वास्तविक व्यय से संबंधित आंकड़ों से समिति को जल्द से जल्द अवगत कराया जाए।

5. समिति ने ध्यान दिया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, अनुसंधान और विकास बजट का 25 प्रतिशत निजी उद्योगों, स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों के लिए निर्धारित किया गया है। मंत्रालय द्वारा यह कहा गया है कि विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) मॉडल के माध्यम से निजी उद्योग को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, व्यापक परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र नोडल सर्वसमावेशी निकाय भी स्थापित किया जाएगा। समिति नोट करती है कि 2022-23 के बजट में की गई घोषणा के बाद निजी उद्योग और शिक्षाविदों को अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अनुमति प्रदान करने और उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान करने की योजना तैयार की जानी है। समिति समझती है कि डीआरडीओ और अन्य संगठनों की निजी उद्योग और अकादमिक के साथ जुड़ाव की यह योजना प्रारंभिक चरण में ही है, तथापि, समिति सिफारिश करती है कि इस योजना के तौर-तरीकों को शीघ्र तैयार करने और रक्षा प्रणालियों के परीक्षण और प्रमाणन की व्यापक आवश्यकताओं के लिए नोडल सर्वसमावेशी निकाय की स्थापना के लिए एक समय-सीमा

निर्धारित की जानी चाहिए ताकि इस उद्देश्य के लिए आरक्षित बजट का 2022-23 में संगत रूप से उपयोग किया जा सके। इसके अलावा, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि इस प्रकार तैयार की गई स्कीमों के ब्यौरे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इच्छुक और सक्षम निजी उद्योगों, स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों की पहचान, ऐसी संस्थाओं को सहायता के माध्यम से राजस्व सृजन का दायरा, अपेक्षित अवसंरचना और जनशक्ति आदि शामिल हैं, उन्हें यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाएं।

'आत्मनिर्भर भारत' के तहत की गई पहल

6. समिति ने नोट किया कि घरेलू पूंजी खरीद का हिस्सा जो 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 58 प्रतिशत और 64 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, को वर्ष 2022-23 के लिए रक्षा सेवाओं के पूंजी अधिग्रहण बजट का 68 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जो लगभग 84,598 करोड़ रुपये है। जहां तक आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत स्वदेशीय रूप से निर्माण किए जा रहे उपकरण/प्लेटफार्मों/हथियारों की गुणवत्ता का संबंध है, रक्षा सचिव ने कहा कि अन्य देशों के माध्यम से या 'मेक इन इंडिया' के तहत खरीदी गई वस्तुओं की गुणवत्ता के मानकों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। समिति ने रक्षा सचिव के प्रस्तुतीकरण पर ध्यान देते हुए मंत्रालय से 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत निर्मित/उत्पादित किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता की सख्त निगरानी जारी रखने का आग्रह किया है ताकि हमारी सेनाएं विश्व स्तरीय उत्पादों से लैस हो सकें। इस संबंध में, समिति की इच्छा है कि पिछले तीन वर्षों में प्रयोक्ताओं अर्थात् सशस्त्र बलों से स्वदेशी रूप से उत्पादित उपकरणों/प्लेटफार्मों/हथियारों की गुणवत्ता और मानकों के संबंध में प्राप्त परिवादों/शिकायतों, यदि कोई हों, का ब्यौरा उन्हें शीघ्रातिशीघ्र भेजा जाए। समिति यह भी चाहती है कि घरेलू रक्षा क्षेत्र में विनिर्मित/उत्पादित किए जा रहे परिष्कृत और उच्च-प्रौद्योगिकी को

छोड़कर, अधिप्राप्ति में शामिल लागत और हथियारों/मदों/उपस्करों में स्वदेशी सामग्री के प्रतिशत के संबंध में अनुमान भी उन्हें प्रस्तुत किए जाएं।

7. घरेलू रक्षा क्षेत्र में नए उद्यमियों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के संबंध में, रक्षा सचिव ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने के इच्छुक भारतीय उद्यमियों के लिए 'व्यापार करने में आसानी' की सहायता के लिए, औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने, पारदर्शिता लाने और रक्षा उद्योग प्रकोष्ठ के सृजन के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से लेन-देन करने जैसे कदम उठाए गए हैं। समिति इन उपायों पर ध्यान देते हुए सिफारिश करती है कि भारतीय उद्यमियों/लघु कंपनियां जो 'मेक इन इंडिया' पहल में भाग लेना चाहती हैं द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं और हिचकिचाहट, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए, सभी हितधारकों अर्थात् रक्षा मंत्रालय, सेनाओं, डीआरडीओ इत्यादि की ओर से समन्वित प्रयास किए जाएं ताकि देश को विश्व में एक विशाल और प्रतिस्पर्धी रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाया जा सके।

<u>एकीकृत थिएटर कमांड</u>

8. समिति ने ध्यान दिया कि सैन्य मामलों के विभाग को सेनाओं के बीच तालमेल और संयुक्तता बढ़ाने और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में सैन्य प्रतिष्ठान के भीतर सुधारों का नेतृत्व करने की कठिन जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में, थिएटर/संयुक्त कमानों की स्थापना की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए नए

सिरे से प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। वर्तमान में, सभी हितधारकों के परामर्श से संबंधित थिएटर/संयुक्त कमानों की रूपरेखा तैयार करने के लिए लीड कमांडर-इन-चीफ (सी-इन-सीएस) को नामित किया गया है। इसके अलावा, रक्षा स्टाफ (मुख्यालय आईडीएस) इन थिएटर/संयुक्त कमानों का समर्थन करने के लिए संयुक्त संरचनाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यालय एकीकृत द्वारा एक अध्ययन भी किया जा रहा है। समिति इस तथ्य से अवगत है कि एकीकृत थिएटर/संयुक्त कमानों की स्थापना एक विशाल कार्य है, फिर भी, सिफारिश करती है कि समेकित संयुक्त कमानों के सृजन के मार्ग में बाधाओं को शीघ्रता से दूर किए जाने की आवश्यकता है ताकि सेवाएं किसी भी खतरे की स्थिति/युद्ध की स्थिति में एक ठोस दृष्टिकोण अपनाएं और जनशक्ति के संसाधनों और सेवाओं की अवसंरचना को समन्वित किया जा सके ताकि राष्ट्र को एक दुर्जेय शक्ति बनाया जा सके।

<u>रक्षा बलों द्वारा नियंत्रित हवाई अड्डों का रख-रखाव</u>

9. समिति के विचार-विमर्श के दौरान, समिति का ध्यान देश में रक्षा बलों द्वारा नियंत्रित हवाई अड्डों में कतिपय कमियों के मुद्दे की ओर आकर्षित किया गया था। समिति चाहती है कि देश भर के रक्षा हवाई अड्डों का विवरण, आवंटित बजट और इन हवाई अड्डों के रखरखाव के लिए खर्च पिछले पांच वर्षों में, ऐसे हवाई अड्डों से रक्षा मंत्रालय को प्राप्त होने वाले राजस्व के अतिरिक्त स्त्रोतों और हवाई अड्डे की अवसंरचना के रखरखाव और सुधार के लिए उठाए गए/विचार किए जा रहे कदमों से समिति को अवगत कराया जाए ताकि वे इन हवाई अड्डों के कार्यकरण का उचित मूल्यांकन कर सकें। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने के एक महीने के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

<u>सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)</u>

<u>बीआरओ को बजटीय आवंटन</u>

10. समिति ने नोट किया कि वर्ष 2021-22 के लिए, एमओडी (सिविल) के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को अंतिम रूप से किया गया आवंटन 7,432.42 करोड़ रुपये था और जनवरी, 2022 तक व्यय 5,773.15 करोड़ रुपये था। वर्ष 2022-23 के लिए, एमओडी (सिविल) के अंतर्गत बीई आवंटन 7,882.36 करोड़ रुपये है। समिति ने यह भी नोट किया है कि सीमा सड़क संगठन का पूंजीगत बजट बीई 2021-22 में 2,500 करोड़ रुपये की तुलना में बीई 2022-23 में 40 प्रतिशत बढ़कर 3,500 करोड़ रुपये हो गया है। समिति इस बात की सराहना करती है कि पूंजी खंड के अंतर्गत बीआरओ को आवंटित निधियों को बीई 2022-23 के लिए बढ़ाया गया है जो बीआरओ की सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के साथ-साथ देश में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए पहले राहत प्रदान करने की रणनीतिक भूमिका को दर्शाता है। समिति बीआरओ की प्रमुख उपलब्धियों जैसे 102 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने, उमलिंगला पास पर सड़क का निर्माण, सड़क कार्यों के लिए जियो सेल जैसी नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने, प्लास्टिक लेपित समुच्चय, जोजिला और अन्य प्रमुख हिमालयी दर्रों के विस्तारित उद्घाटन, बीआरओ के स्वचालन, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) खरीद आदि को भी नोट करती हैं। समिति को यह विश्वास है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बीआरओ के पूंजीगत बजट में रिकॉर्ड वृद्धि से बीआरओ को अपने स्तर और क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी और उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में बलों के लिए निर्माण और परिचालन सड़क अवसंरचना के निर्माण और रखरखाव के कार्यों के बेहतर और तेजी से निष्पादन करने के साथ-साथ दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

बीआरओ के पास उपकरणों की अपेक्षित और मौजूदा संख्या

11. समिति ने नोट किया कि बीआरओ की आवश्यकता के आधार पर, महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 262.34 करोड़ रुपये की वार्षिक खरीद योजना (एपीपी) को अनुमोदित किया गया है, जिसमें 222 डोजर साइज़ II समकक्ष, 7 हॉट मिक्स प्लांट और 10 मोटर ग्रेडर खरीदे जाएंगे। 222 डोजर साइज़ II समकक्ष की आवश्यकता में से, 90 उपस्करों के लिए आपूर्ति आर्डर दे दिए गए हैं/खरीदे गए हैं। समिति, अपेक्षित और मौजूदा महत्वपूर्ण उपकरणों के बीच के अंतर को नोट करते हुए यह जानना चाहेगी कि क्या एपीपी के अंतर्गत खरीदी गई मात्रा पर्याप्त होगी और वित्त वर्ष 2021-22 में उनकी कार्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इस संबंध में, बीआरओ के महानिदेशक ने बताया किया कि उपकरणों और मशीनों की खरीद के लिए अधिक शक्ति दिए जाने से बीआरओ को 2022-23 में अधिक उपकरण खरीदने में सक्षम बनाया जा सकेगा और इससे बीआरओ द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बीआरओ के बढ़े हुए पूंजीगत बजट को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि बीआरओ की प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीआरओ द्वारा विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निष्पादन प्रभावित न हो।

महिला सड़क निर्माण कंपनी (आरसीसी) का सृजन

12. समिति बीआरओ द्वारा अपने संगठन में पहली बार महिला सड़क निर्माण कंपनी (आरसीसी) बनाने के लिए की गई पहल की सराहना करती है, जो एक प्रोत्साहनकारी घटना है और स्पष्ट रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उनके द्वारा किए गए योगदान को

सराहना मिलेगी। समिति आशा करती है और इच्छा व्यक्त करती है कि इस तरह के कदम से निश्चित रूप से अन्य सरकारी और निजी उद्योगों के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि तैनाती/कार्य करने के स्थान पर महिला-अनुकूल सुविधाएं और बुनियादी ढांचे बनाए चाहिए।

भारतीय तटरक्षक

13. समिति यह नोट करती है कि भारतीय तटरक्षक (आईसीजी), भारतीय तटरक्षक अधिनियम, 1978 के अधिनियमन के उपरांत भारत के सामुद्रिक क्षेत्रों में देश के सामुद्रिक हितों की रक्षा हेतु रक्षा मंत्रालय के अधीन गठित संघ का एक सैन्य बल है। समिति यह नोट करती है वर्ष 2021-22 में संयुक्त राजस्व और पूंजी बजट के अंतर्गत आईसीजी को 6400.00 करोड़ रूपए के अनुमान की तुलना में 5244.72 करोड़ रूपए प्राप्त हुए जिसे सं.अ. चरण पर संशोधित कर 6033.72 करोड़ रूपए कर दिया गया। बजट 2022-23 में आईसीजी को 10803.85 करोड़ रूपए के अनुमान की तुलना में केवल 7310.29 करोड़ रूपए ही आबंटित किए गए। समिति यह जानती है कि आईसीजी एक सैन्य बल और प्राथमिक कानून प्रवर्तक एजेंसी है जिसकी सातों दिन चौबीस घंटे महासागर में तैनाती समुद्र में सुरक्षा सुनिश्चित करती है जिसके परिणामस्वरूप समुद्री व्यापर की सुरक्षा तथा समुद्री रास्तों से घुसपैठ को रोकने में सहायता मिलती है। समिति यह भी नोट करती है कि आईसीजी की 2025 तक अपने वर्तमान जहाजी बेड़े को 158 से 190 और विमानों की संख्या को 72 से बढ़ाकर 80 करने की योजना है। समिति की सुदृढ़ राय है कि लक्षित बल स्तर को समय पर पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता अपरिहार्य है। चूंकि यह एक सतत् प्रक्रिया है और मंत्रालय को इस विस्तार योजना की जानकारी पहले से ही है, समिति इस स्तर पर यही सिफारिश कर सकती है कि तटरक्षक की अनुमानित मांगों को उचित महत्व दिया जाए क्योंकि समिति यह देख पा रही है कि तटरक्षक के लिए पूंजी और राजस्व दोनों शीर्षों में

आबंटन अनुमान से काफी कम है। अत:, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को कम से कम सं.अ./अनुपूरक अनुदान चरण में अतिरिक्त आबंटन हेतु वित्त मंत्रालय से तत्परता से बात की जाए। समिति चाहती है कि आईसीजी द्वारा 2021-22 में प्राप्त अतिरिक्त आबंटन से अवगत कराया जाए।

14. समिति यह नोट कर चिंतित है कि 2021-22 में सं.अ. चरण के 6033.7200 करोड़ रूपए के आबंटन की तुलना में 31 दिसंबर,2021 तक केवल 4232.7316 रूपए का ही उपयोग किया जा सका। यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में 1800.9884 करोड़ रूपए अनुप्रयुक्त हैं। समिति यह सिफारिश करती है कि वित्तीय आयोजना विवेकपूर्ण ढंग से तैयार की जानी चाहिए और व्यय की कड़ाई से निगरानी की जानी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति पुन: उत्पन्न न हो। समिति को बताया गया है कि पूंजी शीर्ष के अंतर्गत 80% और राजस्व शीर्ष के अंतर्गत 85% निधियों का फरवरी 2022 तक उपयोग कर लिया गया है। समिति को मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान यह आश्वासन दिया कि आबंटित की गई अनुप्रयुक्त राशि का इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरा उपयोग कर लिया जाएगा। समिति को विश्वास है कि वर्ष 2022-23 हेतु ब.अ. के अंतर्गत बढ़ी हुई मांगों और आबंटनों के दृष्टिगत मंत्रालय द्वारा 2021-22 के अंत तक शेष अप्रयुक्त राशि का उपयोग करने हेतु सही दिश में उचित उपाय किए जाएंगे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त निधियां लौटानी न पड़ें।

<u>आईसीजी में एंटी-ड्रोन और ड्रोन को शामिल करना</u>

15. समिति यह नोट करती है कि भारतीय तटरक्षक का मुख्य कर्तव्य और कार्य भारत के सामुद्रिक क्षेत्रों में देश के समुद्री हितों की रक्षा करना है। इस प्रयोजन की पूर्ति हेतु जहाजों पर हेलिकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है जिससे जहां एक ओर खोजी क्षेत्र बढ़ता है वहीं दूसरी ओर निगरानी का समय कम होता है। समिति की सुविचारित राय है कि विश्व स्तर पर सामयिक

प्रौद्योगिकीय उन्नयनों, सशस्त्र बलों में भावी प्रौद्योगिकी और देश के मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए ड्रोनों का उपयोग आज के समय की आवश्यकता है क्योंकि इनकी लागत कम है और ये खोजी और बचाव कार्यों, निगरानी, पानी के अंदर यातायात की मॉनीटरिंग, फायरफाइटिंग इत्यादि में उपयोगी होंगे। यही नहीं, ये न केवल सैन्य कार्यों अपितु खरीद और रख-रखाव के कार्यों में भी स्पष्टत: हेलिकॉप्टर से सस्ता विकल्प है। हेलिकॉप्टर के पायलट को प्रशिक्षण देने से आसान ड्रोन को ऑपरेट करना सीखना है। समिति को बताया गया कि ड्रोन और एंटी-ड्रोन की खरीद का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अत:, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को भारतीय तटरक्षक संगठन में ड्रोन इंटरसेप्टर्स के साथ ड्रोन शामिल किए जाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने हेतु कदम उठाने चाहिए और तत्काल आधार पर उनकी खरीद को आसान बनाना चाहिए। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में उठाए गए कदमों से इस प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर अवगत कराया जाए।

<u>जनशक्ति की कमी</u>

16. समिति यह नोट करती है कि तटरक्षक संगठन में अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों, नामांकित कार्मिकों और सिविलियन स्टाफ की क्रमश: 2344, 12645 और 1970 की स्वीकृत संख्या की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत कमी है। अधिकारियों, नामांकित कार्मिकों और सिविलियन स्टाफ की तैनाती की संख्या (प्रतिनियुक्ति सहित) क्रमश: 1977, 10748 और 1334 है। समिति यह पाती है कि भारतीय तटरक्षक विश्व का सबसे बड़ा तटरक्षक बल है जो भारतीय प्रायद्वीप के आस-पास 4.6 मिलियन वर्ग किमी. की तटीय जल रेखा में खोजी और बचाव कार्यों को अंजाम देता है। यह संगठन सीमा-पार आतंकवाद तथा सामुद्रिक अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने और सामुद्रिक सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि से संबंधित कार्य भी करता है। इन कार्यों को करने के लिए नि:संदेह प्रत्येक स्तर पर कार्यों के अनुकूल जनशक्ति की आवश्यकता होती है। आईसीजी के व्यापक कवरेज क्षेत्र और विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को देखते हुए समिति यह सिफारिश करती है कि आईसीजी में अधिकारी तथा जवान दोनों के स्तर पर भर्ती का इलेक्ट्रानिक और प्रिंट दोनों मीडिया में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि दूरदराज के गांवों और शहरों में रह रहे युवाओं को आईसीजी में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी जा सके। समिति इस बात की

सराहना करती है कि मंत्रालय द्वारा सिविलियनों के लिए ऑनलाइन परीक्षा और सीधी भर्ती हेतु प्रयास शुरू किए गए हैं और आशा है कि इससे संगठन की रिक्तियों को तत्काल भरने में सहायता मिलेगी। समिति चाहती है कि आईसीजी द्वारा रिक्तियों को भरते समय स्थानीय युवाओं और क्षेत्रीय लोगों को समुचित महत्व दिया जाए।

रक्षा संपदा संगठन

बजटीय प्रावधान

17. समिति को अवगत कराया गया है कि रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) के लिए 1,101.98 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की तुलना में, बजट अनुमान 2022-23 में 574.98 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, अर्थात 527 करोड़ रुपये का अंतर है। बीई 2022-23 के तहत, राजस्व और पूंजी शीर्ष में क्रमशः 401.95 करोड़ रुपये और 173.03 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। समिति नोट करती है कि बजट अनुमान 2020-21 में 1635.44 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की तुलना में, डीजीडीई को बजट अनुमान (बीई) चरण में आवंटित राशि 397.36 करोड़ रुपये थी और वास्तविक व्यय 409.19 करोड़ रुपये था।आगे, वित्तीय वर्ष 2021-22 में, 1927.46 करोड़ रुपये के अनुमान की तुलना में 364.56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि दिसंबर 2021 तक व्यय की गई वास्तविक राशि 201.79 करोड़ रुपये थी। समिति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकालती है कि हाल के वित्तीय वर्षों के दौरान बीई स्तर पर आबंटित निधियां डीजीडीई के कार्यकरण के लिए पर्याप्त हैं। अतः, पिछले कुछ वित्तीय वर्षों के दौरान बीई स्तर पर किए गए अनुमानों की तुलना में डीजीडीई द्वारा किए गए वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए, समिति खेद के साथ यह नोट करती है कि अनुदानों की मांगों के अंतर्गत बजट अनुमानों का प्राक्कलन करते समय

डीजीडीई द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से वित्तीय आयोजना तैयार नहीं की जा रही है। समिति 2020-21 के बाद से अनुदानों की मांगों के संबंध में अवास्तविक अधिक आंकड़े प्रस्तुत करने के कारणों को जानना चाहेगी। समिति मंत्रालय से वित्तीय आयोजना की उनकी प्रक्रियाओं को सुचारु बनाने का आग्रह करती है ताकि बीई स्तर पर विवेकपूर्ण और वास्तविक अनुमान सुनिश्चित किया जा सके ।

18. समिति नोट करती है कि रक्षा मंत्रालय (एमओडी) छावनी बोर्डों को उनके बजट को संतुलित रखने के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सामान्य सहायता अनुदान के अलावा, वर्ष 2012-13 से भूमिगत सीवर प्रणाली, जलापूर्ति योजनाएं, अस्पतालों और स्कूलों के निर्माण आदि जैसी पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान भी प्रदान किए जा रहे हैं। समिति को यह भी ज्ञात हुआ कि छावनी बोर्डों के प्रबंध के अधीन भूमि पर कराधान, फीस, पत्ता किराये और बोर्ड की अपनी तथा बोर्ड में निहित संपत्तियों के संबंध में किराये के माध्यम से संसाधन जुटाने की शक्तियां हैं। छावनी बोर्ड की आय के मुख्य स्रोत स्थानीय कर जैसे आवास कर, कंजर्वेंसी टैक्स, जल कर, बिजली कर, व्यापार और व्यवसाय कर, सेवा प्रभार आदि हैं। मौखिक साक्ष्य के दौरान, डीजीडीई के प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि छावनी बोर्डों के समक्ष आने वाली वित्तीय चुनौतियां सीमित व्यापार और व्यावसायिक कार्यकलाप और साथ ही छावनी क्षेत्रों में संपत्तियों के सरकारी स्वामित्व के कारण हैं। यह भी बताया गया कि छावनियों को दी जा रही सामान्य सहायता अनुदान की राशि में गिरावट का रुझान है, जो 2019-20 के 361.60 करोड़ रुपये से घटकर 2021-22 में 239.80 करोड़ रुपये हो गया है; जबकि प्रतिष्ठानों के संचालन और आस्तियों के रखरखाव की लागत वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। इन तथ्यों के आलोक में, समिति यह सिफारिश करती है कि छावनियों को

पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे निवासियों को कुशल सिविक सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/पहलों को निर्बाध रूप से चला सकें।

<u>रक्षा भूमि से संबंधित बाधाओं/विवादों का समाधान</u>

19. समिति नोट करती है कि देश में विभिन्न स्थानों पर अवसंरचनात्मक विकास के लिए रक्षा प्राधिकारियों से भूमि का अंतरण करने के लिए राज्य/स्थानीय सरकार की मांगों/अनुरोधों से संबंधित कई मामले हैं। इन मांगों के लिए बताए गए प्रमुख कारण सिविल नागरिकों द्वारा छावनियों से गुजरने वाली सड़कों, स्कूलों आदि का उपयोग है । समिति रक्षा सम्पदा के महानिदेशक के उत्तर से नोट करती है कि इस संदर्भ में आने वाली चुनौतियों में से एक सेना को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ए-1 श्रेणी की भूमि प्रदान करने का नियम है। यह भी बताया गया कि रक्षा मंत्रालय की वर्तमान नीति के अनुसार अवसंरचनात्मक विकास से संबंधित मामलों पर एक महीने के भीतर कार्रवाई की जा रही है। समिति इस तथ्य से अवगत है कि सिविल नागरिकों व्यवस्था और सैन्य प्राधिकारियों के बीच ऐसे विवादों का समाधान एक कठिन कार्य है क्योंकि इसमें सुरक्षा संबंधी चिंताएं और कानूनी निहितार्थ शामिल हैं। वह यह भी समझती हैं कि कतिपय राज्यों द्वारा रक्षा भूमि के बदले में समान मूल्य की भूमि के अंतरण के प्रस्ताव शुरू होने वाले हैं। इन तथ्यों के आलोक में, समिति सिफारिश करती है कि जहां कहीं भी आवश्यक हो, राज्य सरकारों, स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों और रक्षा मंत्रालय के साथ बैठकों को आवधिक रूप से आयोजित किया जाए ताकि रक्षा भूमि से संबंधित विवादों के समाधान में तेजी लाई जा सके। समिति के संज्ञान में एक ऐसा मामला आया है जिसमे बंगलुरू के हेब्बल में 102 वर्ष पुराना एक सरकारी स्कूल का रक्षा प्राधिकारियों/स्थापना के साथ भूमि के स्वामित्व का विवाद है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपना साक्ष्य देते हुए बताया कि इस समस्या की जांच के लिए पहले ही एक समिति गठित की जा चुकी है और

इसका प्रतिवेदन प्रतीक्षित है। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करे और समस्या का यथाशीघ्र समाधान निकाले।

छावनी अधिनियम, 2006 में संशोधन

20. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 3 के अनुसार, संसद छावनी क्षेत्रों के परिसीमन, इन क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन, छावनी प्राधिकारियों के गठन और शक्तियों और किराए के नियंत्रण सहित आवास के विनियमन के लिए कानून बनाने में सक्षम है। संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार छावनी अधिनियम, 1924 के अंतर्गत छावनियों के प्रशासन और छावनी बोर्डों की भूमिका पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है । तदनुसार, छावनी अधिनियम, 2006 को 18-12-2006 से लागू किया गया था, ताकि छावनियों के प्रशासन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित किया जा सके जिससे उनके लोकतंत्रीकरण और वित्तीय आधार में सुधार हो, विकास से संबंधित कार्यों और अन्य संबंधित मामलों के लिए प्रावधान किए जा सकें। अनुदानों की मांगों 2022-23 की जांच के दौरान समिति को बताया गया कि नए छावनी विधेयक की अंतिम रूप से जांच की जा रही है। प्रस्तावित नए विधेयक की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ छावनी बोर्ड में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि, छावनी ढांचे का अधिक लोकतंत्रीकरण और आधुनिकीकरण, निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिक वित्तीय शक्ति, नया/ आधुनिक नगरपालिका अधिनियम को लागू करना और नागरिकों के लिए 'ईज़ ऑफ लिविंग' पर विचार करना शामिल है। समिति यह समझती है कि छावनी क्षेत्रों के निवासियों और छावनी बोर्डों के लोकतांत्रिक कार्यकरण से संबंधित विभिन्न प्रावधान नए छावनी विधेयक के अधिनियमन पर निर्भर करती हैं। ऐसा ही एक प्रावधान देश के विभिन्न छावनी बोर्डों में चुनाव आयोजित करवाना है। समिति को बताया गया है कि आज की तिथि के अनुसार, अभी 61 छावनी बोर्डों, जहां चुनाव होने हैं, में छावनी अधिनियम, 2006 की

धारा 13 के अनुसार परिवर्तन (वेरी) किए गए है। समिति यह भली-भांति समझती है कि छावनी बोर्डों में परिवर्तन (वेरी) करना एक तदर्थ व्यवस्था है और छावनी क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए नियमित चुनाव की आवश्यकता होती है। समिति यह समझती है कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न हितधारकों से राय मांगी गई थी और उसके आधार पर एक नया प्रारूप विधेयक सार्वजनिक किया गया था। छावनी क्षेत्रों में निवासियों के कल्याण और देश में छावनी बोर्डों में लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के दृष्टिगत, समिति सिफारिश करती है कि नए छावनी विधेयक को अविलंब अंतिम रूप दिया जाए और इसे यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत किया जाए।

<u>रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (डीपीएसयू)</u>

<u>रक्षा पीएसयू</u>

21. समिति ने नोट किया कि आयुध निर्माणी बोर्ड की 41 उत्पादन इकाइयों (आयुध निर्माणियों) के निगमीकरण का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 जून, 2021 को लिया गया था और इसके अनुसरण में, 41 उत्पादन इकाइयों के प्रबंधन, नियंत्रण, संचालन और रखरखाव को नवगठित 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) अर्थात् म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) को बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (एवीएनएल), ट्रूप कम्फर्ट लिमिटेड (टीसीएल), इंडिया ऑप्टल लिमिटेड (आईओएल), एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल), यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल), ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) 1 अक्टूबर, 2021 से सौंप दिया गया था। वर्तमान में, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। समिति ने पाया कि देश के रक्षा उद्योग द्वारा 85000 करोड़ रुपये के कुल उत्पादन में से सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 68,000 करोड़ रुपये है। समिति को उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि दो डीपीएसयू

अर्थात हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) की शीर्ष 100 हथियार उत्पादक और सैन्य सेवा कंपनियों की रिपोर्ट में क्रमशः 42 वां और 66 वां स्थान हासिल किया है। समिति को पूरी उम्मीद है कि नए डीपीएसयू के सृजन के साथ, घरेलू रक्षा उद्योग द्वारा उत्पादन की समग्र मात्रा में वृद्धि की जाएगी और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को समय पर और गुणात्मक और मितव्ययितापूर्ण तरीके से पूरा किया जाएगा, तथा और अधिक भारतीय कंपनियां खुद को रक्षा विनिर्माण दिग्गजों के रूप में विश्व स्तर पर स्थापित करेंगी।

<u>डीपीएसयू की ऑर्डर बुक स्थिति</u>

22. समिति ने नोट किया कि 16 फरवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार 9 डीपीएसयू की संचयी ऑर्डर बुक की स्थिति 2,48,487 करोड़ रुपये है। प्रत्येक डीपीएसयू की ऑर्डर बुक स्थिति के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जांच करने के बाद, यह अनुमान लगाया जाता है कि नौ डीपीएसयू में से, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) और मिश्र धातू निगम लिमिटेड (मिधानी) का अन्य डीपीएसयू की तुलना में काफी कम ऑर्डर बुक मूल्य है। एचएसएल और मिधानी के संबंध में 16 फरवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार ऑर्डर बुक मूल्य क्रमशः 2,673 करोड़ रुपये और 1,350 करोड़ रुपये है। समिति को यह भी ज्ञात हुआ है कि एचएएल के मामले में, फरवरी 2021 में प्राप्त 83 एलसीए एमके1ए ऑर्डर को छोड़कर, 2022-23 से परे प्लेटफॉर्म विनिर्माण के लिए कंपनी के पास वर्तमान में कोई ठोस आदेश उपलब्ध नहीं है। विमानों और हेलीकाप्टरों की आपूर्ति के लिए मौजूदा आदेशों का प्रमुख हिस्सा जल्द ही समाप्त हो जाएगा, जिसमें एसयू-30एमकेआई का अधिकांश विनिर्माण आदेश 2020-21 में पूरा हो

जाएगा। बताया जाता है कि बीईएमएल के पास 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की ऑर्डर बुक स्थिति है जिसे 2024-25 तक निष्पादित किया जाएगा। जहां तक एमडीएल का संबंध है, 47,728 करोड़ रुपये की शेष ऑर्डर बुक अगले 5 से 6 वर्षों में पूरी होने वाली है। माना जाता है कि अन्य रक्षा शिपयार्डों की तुलना में एचएसएल की ऑर्डर बुक की स्थिति न्यून स्तर पर है और शेष ऑर्डर मार्च 2024 के अंत तक पूरा होने के लिए निर्धारित हैं। इस संबंध में, समिति ने नोट किया है कि मंत्रालय द्वारा डीपीएसयू की ऑर्डर बुक को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों में निर्यात को बढ़ावा देने, स्वदेशीकरण, रक्षा क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी और डीपीएसयू में प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान और विकास का समर्थन करने वाले सुधार शामिल हैं। समिति ने डीपीएसयू के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की जांच करने के बाद पाया है कि आने वाले वर्षों में उत्पादन सुविधाओं और अन्य संसाधनों के कम उपयोग की चुनौती का सामना एचएएल जैसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले डीपीएसयू द्वारा भी किया जा रहा है। समिति यह भी समझती है कि रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में निहित जटिलताओं के कारण, डीपीएसयू के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) को एक ठोस आदेश में परिवर्तित करने में समय लगता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि डीपीएसयू एक स्वस्थ ऑर्डर बुक स्थिति बनाए रखे, समिति यह सिफारिश करती है कि सेवाओं द्वारा समय पर आदेशों और अन्य आवश्यकताओं को लागू किया जाना और डीपीएसयू की वित्तीय व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक योजना को मंत्रालय द्वारा डीपीएसयू के परामर्श से किया जाना चाहिए।

<u>डीपीएसयू की लाभप्रदता और दक्षता</u>

23. 2020-21 में डीपीएसयू के वित्तीय प्रदर्शन की जांच करने पर, समिति ने पाया कि एचएसएल को छोड़कर, जिसे पनडुब्बी रिफिट ऑर्डर की कमी और कोविड महामारी के कारण 14 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, सभी डीपीएसयू ने उक्त वित्तीय वर्ष में लाभ कमाया है। लाभ

कमाने वाले डीपीएसयू में से, कम लाभ यानी 74.8 करोड़ रुपये बीईएमएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपार्जित किए गए थे। बीईएमएल मैसुरु संयंत्र की लाभप्रदता के संबंध में, बीईएमएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने साक्ष्य के दौरान स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि प्रतिस्पर्धी वातावरण के कारण मुनाफे का अंतर कम रहा, विशेष रूप से खनन और निर्माण क्षेत्र में। समिति ने मंत्रालय के एक प्रतिनिधि के प्रस्तुतीकरण से यह भी नोट किया है कि यद्यपि डीपीएसयू में कर्मचारियों की संख्या काफी है, फिर भी डीपीएसयू में आउटसोर्सिंग की ओर बढ़ने और सिस्टम इंटीग्रेटर बनने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। समिति का विचार है कि डीपीएसयू का ध्यान अनुसंधान और विकास को बढ़ाने और सुधारने पर होना चाहिए ताकि निर्यात के रूप में हमारे सशस्त्र बलों और मित्र देशों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों को विकसित करके पेश किया जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि डीपीएसयू वर्तमान विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी वातावरण के बीच प्रासंगिक, लाभदायक और जुझारू बने रहें। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि डीपीएसयू में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए जोरदार प्रयासों के साथ-साथ मंत्रालय द्वारा प्रत्येक डीपीएसयू के लिए अनुत्पादक व्यय में कटौती और जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने की कवायद की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, समिति की इच्छा है कि प्रत्येक डीपीएसयू के वार्षिक कारोबार, कर पश्चात लाभ, पिछले तीन वर्षों में भुगतान किए गए लाभांश, स्वीकृत बनाम कार्यरत जनशक्ति और मुख्य और गैर-मुख्य कार्यकलापों में तैनात जनशक्ति को दर्शाने वाला एक विवरण इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के तीन महीने के भीतर समिति को प्रस्तुत किया जाए।

24. मंत्रालय के लिखित निवेदन से समिति यह समझती है कि रक्षा उत्पादन विभाग की देखरेख में प्रत्येक डीपीएसयू के लिए एक 'बिजनेस कम ग्रोथ मॉडल' तैयार करने के लिए एक

दूरदर्शी कार्य चल रहा है। विजन एक्सरसाईज डीपीएसयू के लिए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना के साथ आएगा ताकि उन्हें वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके, जिससे उनके उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और व्यावसायिक अवसर प्राप्त किए जा सकें। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि विजनिंग प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाए और तदनुसार समिति को इसके निष्कर्षों से अवगत कराया जाए।

<u>डीपीएसयू द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां</u>

25. समिति ने पाया कि डीपीएसयू द्वारा कई चुनौतियों का सामना किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेमी-कंडक्टर चिप्स की कमी, टर्नकी परियोजनाओं में स्टेकहोल्डरों द्वारा विलंबित मंजूरी, प्रतिभा को बनाए रखना, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से खरीद, लंबी अवधि के लिए सहायक प्लेटफार्म, जिसमें उच्च लागत, व्यापक परीक्षण और पैमाने की अर्थव्यवस्था, निर्यात बाजार में दीर्घकालिक स्थापित कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना शामिल है, और सुविधाओं और संसाधनों की कमी, कोविड-19 के कारण अनुमानित समयसीमा में देरी, आयातित इनपुट कच्चे माल के मूल्य में अस्थिरता अस्थिर और सीमित उपलब्धता, विदेशी मूल उपकरण निर्माता (एफओईएम) से मिसाइलों के निर्यात की अनुमति का लंबित होना शामिल है। समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय और डीपीएसयू से तत्काल और गहन केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डीपीएसयू, सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, अपने उत्पादन और मुनाफे के लक्षित स्तर को प्राप्त करने में सक्षम हों। समिति चाहती है कि डीपीएसयू द्वारा सामना की जा रही उक्त बाधाओं में से प्रत्येक को दूर करने और उनका समाधान करने के लिए मंत्रालय और डीपीएसयू द्वारा ठोस उपाय किए जाएं और इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर तत्संबंधी परिणामों से समिति को अवगत कराया जाए।

<u>विनिवेश</u>

26. समिति ने नोट किया है कि सरकार रक्षा सीपीएसयू सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए उनके मूल्य को अनलॉक करने, सार्वजनिक स्वामित्व को बढ़ावा देने, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा करने और जवाबदेही की उच्च डिग्री सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के बिना अल्पांश हिस्सेदारी के विनिवेश की नीति का पालन कर रही है। गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जहां प्रतिस्पर्धी बाजार परिपक्व हो गए हैं, रणनीतिक विनिवेश की नीति का पालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, डीपीएसयू में शेयरधारिता को कम करने का निर्णय निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से लिया जाता है। समिति को पता चला है कि बीईएमएल विनिवेश के अंतिम चरण में है। समिति ने ध्यान दिया कि चूंकि डीपीएसयू अनुसंधान और विकास में काफी राशि का निवेश कर रहे हैं, इसलिए उनके पास कोर और गैर-कोर दोनों परिसंपत्तियां हैं और उनमें से कई पिछले कुछ वर्षों से लाभ कमा रहे हैं, इसके अलावा डीपीएसयू के उत्पाद विस्तार, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में निवेश और लागत और गुणवत्ता के संदर्भ में बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर जोर दे रहे हैं। समिति सिफारिश करती है कि रणनीतिक विनिवेश की नीति का अनुसरण करते समय, राष्ट्रीय हितों के संरक्षण, डीपीएसयू के भविष्य से संबंधित उचित चिंताओं, डीपीएसयू की लाभप्रदता और कर्मचारी कल्याण की तुलना में विनिवेश आय की तुलना में रक्षा मंत्रालय द्वारा उपयुक्त रूप से समाधान किया जा सकता है।

<u>रक्षा निर्यात</u>

27. समिति को ज्ञात हुआ है कि पिछले पांच वर्षों में भारतीय रक्षा निर्यात का मूल्य 1500 **करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग छह गुना बढ़कर** 9000 **करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा, एसआईपीआरआई** 2020 **की रिपोर्ट के अनुसार, भारत रक्षा निर्यात में शीर्ष** 25 **देशों की सूची में है। निर्यात में निजी क्षेत्र की भागीदारी वर्तमान में** 90 **प्रतिशत है। समिति ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद, पाया कि जबकि मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) द्वारा किए गए निर्यात का मूल्य वित्तीय वर्ष** 2020-21 **के लिए 'शून्य' था, बीईएल, एचएएल, बीईएमएल, जीआरएसई, बीडीएल और मिधानी के मामले में वित्तीय वर्ष** 2020-21 **में निर्यात का मूल्य क्रमशः** 376.46 **करोड़ रुपये,** 194 **करोड़ रुपये,** 463 **करोड़ रुपये (डीम्ड निर्यात सहित),** 87.49 **करोड़ रुपये,** 145 **करोड़ रुपये और** 19.42 **करोड़ रुपये था। अपने प्रस्तुतीकरण में, डीपीएसयू ने समिति को प्राप्त प्रक्रियाधीन विभिन्न निर्यात आदेशों के बारे में अवगत कराया था। समिति इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि रक्षा निर्यात से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित होती है और स्वदेशी रक्षा उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनता है, मंत्रालय से डीपीएसयू को उनके निर्यात को बढ़ाने में मदद करने का आग्रह करती है। समिति ने आशा व्यक्त की है कि भारत और फिलीपींस के बीच पहला प्रमुख रक्षा प्रणाली निर्यात समझौता ब्रह्मोस सौदा रक्षा निर्यात में अग्रणी साबित होगा। इसलिए, वे सिफारिश करते हैं कि समय पर पूरा होने और सुपुर्दगी के अलावा अत्याधुनिक उपकरणों और प्लेटफार्मों का विकास, उत्पादों/प्लेटफार्मों/उपकरणों की उत्कृष्ट गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए और डीपीएसयू द्वारा उनका पालन किया जाना चाहिए ताकि वे रक्षा उत्पादों के बहुत प्रतिस्पर्धी और विश्वसनीय गंतव्य के रूप में स्थापित हो सकें और उभरकर सामने आ सकें। इस संबंध में, प्रत्येक डीपीएसयू में एक अलग विंग के**

सृजन की व्यवहार्यता, जो केवल इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित है, पर मंत्रालय और डीपीएसयू द्वारा विचार किया जा सकता है।

<u>स्वदेशीकरण के प्रयास और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता</u>

28. समिति ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों पर ध्यान दिया है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ हथियारों और प्लेटफार्मों के स्वदेशीकरण की दो सकारात्मक सूचियों की अधिसूचना, प्रापण में भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए विकसित और विनिर्मित (आईडीडीएम) खरीदों को प्राथमिकता देना और स्वदेशीकरण अभियान का हिस्सा बनने के लिए निजी उद्योग की सुविधा के लिए सृजन पोर्टल की शुरूआत करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, उद्योग द्वारा निर्देशित डिजाइन और विकास के लिए प्रमुख लाइन रिप्लेसेबल यूनिटों (एलआरयू) और उप-प्रणालियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। समिति इस बात की सराहना करती है कि संपूर्ण रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े परिवर्तन के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं ताकि अधिकतम स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके और इस संबंध में दृश्यमान परिणाम भी देखे जा रहे हैं, उदाहरण के लिए, असेंबली/सब-असेंबलीज के डीपीएसयू के स्वदेशीकरण की सकारात्मक सूचियों की अधिसूचना के अनुसरण में, 2500 मदों को पहले ही स्वदेशीकृत किया जा चुका है और 3 वर्षों में 351 मदों को स्वदेशीकरण किया जाना है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 3000 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हुई। समिति ने पाया है कि देश में कुछ महत्वपूर्ण घटकों का उत्पादन नहीं किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप डीपीएसयू द्वारा बनाए गए विभिन्न उपकरणों/प्लेटफार्मों में स्वदेशी सामग्री में कमी आई है। समिति की इच्छा है कि स्वदेशीकरण के प्रयासों में डीपीएसयू के योगदान का आकलन करने के लिए डीपीएसयू द्वारा विनिर्माण और उत्पादन में उपयोग की जा रही आयात सामग्री की तुलना में स्वदेशी सामग्री पर एक विस्तृत

नोट प्रस्तुत किया जाए। नोट में उन महत्वपूर्ण घटकों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो स्वदेशी रूप से उत्पादित नहीं हैं और इसके स्थानीय उत्पादन के लिए मंत्रालय और डीपीएसयू द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। समिति ने आयात सामग्री की आवश्यकता जो कुछ मामलों में अपरिहार्य है ताकि हमारे सशस्त्र बलों की विभिन्न महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, को समझते हुए, यह सिफारिश की है कि रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी हितधारकों अर्थात् मंत्रालय, डीपीएसयू, अनुसंधान और विकास संस्थानों, शिक्षाविदों आदि द्वारा कड़े और समन्वित प्रयास किए जाएं।

रक्षा गलियारें

29. समिति ने नोट किया है कि रक्षा क्षेत्र के विकास को समर्थन देने और उनकी विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की है। उन्होंने यह भी नोट किया कि दोनों रक्षा औद्योगिक गलियारों (डीआईसी) में 2024-25 तक 10,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश की तुलना में, आज की तारीख में, यूपी और तमिलनाडु का डीआईसी में निवेश क्रमशः 1,553 करोड़ रुपये और 2,252 करोड़ रुपये था। इसके अलावा, यूपी डीआईसी के संबंध में 8639 करोड़ रुपये के 62 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी प्रकार, तमिलनाडु डीआईसी में एमओयू और अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से 40 उद्योगों के माध्यम से 1153 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। दो रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना में प्राप्त प्रगति पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि रक्षा अवसंरचना के साथ-साथ, जहां कहीं भी आवश्यक हो, उचित सड़क/रेल/हवाई संपर्क जैसी संबद्ध अवसंरचना का विकास सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में आ रही बाधाओं, यदि कोई हो, को

दूर करने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों जैसे डीपीएसयू, निजी निवेशकों आदि के साथ नियमित बातचीत की जाए।

<u>कैंटीन स्टोर विभाग (सीएसडी)</u>

<u>बजट आबंटन</u>

30. समिति यह समझती है कि कैंटीन स्टोर विभाग सम्बद्ध एक का मंत्रालय रक्षा (सीएसडी) को परिवारों उनके और टुकड़ियों की सेना वायु और नौसेना ,सेना थल कि जो है कार्यालय उनके कराकर उपलब्ध पर मूल्य कम से मूल्य बाजार उत्पाद गुणवत्तापूर्ण के उपयोग दैनंदिन है। प्रतिबद्ध लिए के कल्याणसमिति ने नोट किया कि बजट अनुमान 2022-23 में 26,868.55 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की तुलना में सीएसडी को 19,802.09 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप 7,066.46 करोड़ रुपये की कमी आई है। समिति यह भी नोट करती है कि लाभार्थियों को नॉन-अगेंस्ट फर्म डिमांड (एएफडी) मदों (किराने का सामान, सामान्य भंडार आदि) की होम डिलीवरी के लिए सीएसडी के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन का अगला चरण प्रगति पर है। इस प्रकार, यह स्वीकार किया गया है कि न केवल पिछली प्रतिबद्ध देनदारियों को खत्म करने और संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए बल्कि मौजूदा गोदामों के आधुनिकीकरण, तकनीकी रूप से योग्य जनशक्ति की भर्ती/आउटसोर्सिंग, एएफडी पोर्टल के सुचारू प्रचालन और गैर-एएफडी मदों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्म शुरू करने के लिए भी बजटीय सहायता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, समिति को बताया गया है कि वित्तीय वर्ष के अंत में कैंटीन में अर्जित अधिशेष राशि को रक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार और सेवा मुख्यालयों के बीच समान रूप से वितरित कर दिया जाता है। समिति का यह सुविचारित मत

है कि सीएसडी के आधुनिकीकरण, एएफडी पोर्टल के समुचित कार्यकरण और ई-कॉमर्स कार्यकलापों को शुरू करने के साथ-साथ लाभार्थियों के लिए सेवाओं को बेहतर बनाए जाने से सरकार के व्यापार अधिशेष में काफी वृद्धि होगी जिससे विभाग के लिए अतिरिक्त राजस्व सृजन होगा। इन तथ्यों के आलोक में समिति यह सिफारिश करती है कि कैंटीन स्टोर विभाग को आबंटित निधियों को संशोधित अनुमान/आशोधित अनुमान के चरण में समुचित रूप से बढ़ाया जाए और तदुपरांत समिति को अवगत कराया जाए।

सीएसडी के माध्यम से बलों के लिए युद्धक वर्दी (कॉम्बेट यूनिफ़ॉर्म) का प्रावधान

31 समिति को बताया गया है कि सेना में अधिकारियों के लिए नई सिली हुई युद्धक वर्दी कैंटीन स्टोर विभाग (सीएसडी) के माध्यम से प्रदान/आपूर्ति किए जाने की योजना है। इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के दौरान थल सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल ने बताया कि नई युद्धक वर्दी की आपूर्ति केवल सीएसडी के माध्यम से की जाएगी ताकि इसे खुले बाजार में न बेचा जा सके। चूंकि यह मामला देश की सुरक्षा और हमारे बलों की गरिमा और प्रतिष्ठा से से जुड़ा हुआ है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि बलों की वर्दी के दुरुपयोग के जोखिम को कम करने के लिए मंत्रालय द्वारा सक्रिय और त्रुटिरहित उपाय किए जाने की आवश्यकता है। समिति यह भी चाहती है कि वर्दी की उपलब्धता सुनिश्चित करते समय उनकी गुणवत्ता और उचित फिटिंग भी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि यह सशस्त्र बलों के कार्मिकों के स्मार्ट और गरिमामयी लुक को प्रभावित न करे। इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत किए जाने के एक माह के भीतर समिति को अवगत कराया जाए।

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण (ईएसडब्ल्यू)

32. समिति ने नोट किया कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए 2021-22 में अनुमानित 486.79 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में, आरई चरण में 420 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसमें से केवल 97.80 करोड़ रुपये का उपयोग 19 जनवरी, 2022 तक किया जा चुका है, जिसका अर्थ है कि आवंटित निधियों के तीन-चौथाई से अधिक को वित्तीय वर्ष 2021-22 की एक तिमाही से भी कम समय के भीतर उपयोग किया जाना बाकी है। समिति ने पिछली तिमाही में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए निधियों के उपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। चूंकि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तहत बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं, इसलिए समिति मंत्रालय से 2021-22 में आवंटित निधियों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह करती है। समिति इस संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में अवगत होना चाहती है।

33. समिति ने उन्हें दी गई सूचना से नोट किया है कि केंद्र सरकार (समूह ग के पदों में 10%), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों (समूह ग में 145% और समूह घ में 245% के लिए आरक्षण मौजूद है, जिसमें विकलांग ईएसएम/कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए 4.5%), केंद्रीय पुलिस संगठन/अर्धसैनिक बल (10% सहायक कमान्डेन्ट के रैंक तक) । रक्षा सुरक्षा कोर (डी.एस.सी) और कुछ कॉर्परिट / निजी संगठनों में भी 100% शामिल हैं । तथापि, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सुविधा को समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है, जिसके कारण पदों की संख्या को भरा नहीं जाना बताया गया है और कई सरकारी संगठनों में रिक्तियों के अस्तित्व की सूचना दी गई थी।समिति ने नोट किया है कि परियोजना 'पुन: स्थापन' के तहत, ईएसएम के विस्तार के लिए रक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के

बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल की सराहना करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को ईएसएम की रिक्तियों को पूरी गंभीरता से भरने के मुद्दे का समाधान करना चाहिए और सरकारी और निजी नौकरियों की उपलब्धता के बारे में सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को जागरुक बनाने, भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सफलता हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी/बैंकों के साथ समन्वय करके सरकारी पीएसबी आदि में उचित कदम उठाने चाहिए।.

34. समिति ने नोट किया है कि समूह घ और ग के पदों के साथ-साथ ख के अराजपत्रित पदों के विलय के कारण ईएसएम के लिए आरक्षित रिक्तियां खाली रह गई हैं। इस संबंध में समिति यह समझती है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहलों से मंत्रालय को समस्या का समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। इसलिए समिति मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के साथ बातचीत शुरू करने की सलाह देती है ताकि इस मुद्दे को शीघ्रता से हल किया जा सके।

35. समिति ने पाया है कि देश में शहीदों को अनुग्रह राशि के मौद्रिक लाभों/मुआवजे के संबंध में एकरूपता का नितांत अभाव है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है। कुछ राज्यों में, शहीद के परिवार को ₹ 5 लाख और कुछ राज्यों में₹ 5 करोड़ और परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाती है। समिति का विचार है कि सैनिकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं समान प्रकृति की हैं और इसलिए सिफारिश करती हैं कि मंत्रालय को मुआवजे की राशि में असमानता को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग को चाहिए कि वह इस मुद्दे को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करे

और देश के सभी राज्यों में शहीदों के परिवारों को अनुग्रह राशि लाभ और रोजगार देने के मामले में एकरूपता लाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करे ।

36. समिति के ध्यान में यह बात आई है कि सेवारत रक्षा कार्मिकों को देश के विभिन्न टोल प्लाजाओं पर टोल टैक्स के भुगतान से कोई छूट नहीं दी गई है और उन्हें टोल प्लाजा के आसपास स्थित अपने कार्य स्टेशनों के बावजूद कर का भुगतान करना होता है। चूंकि रक्षा कार्मिकों को अपने कार्य स्टेशनों पर आने-जाने के लिए टोल प्लाजाओं से गुजरना पड़ता है, इसलिए समिति रक्षा मंत्रालय को इस मामले को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ उठाने की सिफारिश करती है ताकि सेवा रत रक्षा कार्मिकों को भुगतान से राहत/छूट प्रदान की जा सके, विशेषरूप से उन टोल प्लाजाओं पर जो रक्षा कार्य स्टेशन और उनके निवास स्थानों के बीच आते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि इन टोल प्लाजाओं पर सेवा कर्मियों को पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने पर निशुल्क पास या निशुल्क पासेज की अनुमति दी जा सकती है। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई के उत्तर प्रस्तुत करते समय उठाए गए कदमों से भी अवगत होना चाहती है ।

रक्षा पेंशन

बजटीय प्रावधान

37. समिति नोट करती है कि रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा पेंशन में तीनों सेनाओं अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (रक्षा सिविलियन कर्मचारियों सहित) तथा पूर्ववर्ती भारतीय आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों आदि के संबंध में पेंशन प्रभारों का प्रावधान है। इसमें अन्य के साथ-साथ सेवा पेंशन, उपदान, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन, पेंशन का संराशीकृत मूल्य, छुट्टी का नकदीकरण का भुगतान शामिल है। समिति को सूचित किया गया है

कि दिनांक 1.4.2021 तक, देश में रक्षा पेंशनधारकों की कुल संख्या 32,94,181 थी, जिसमें 6,14,536 रक्षा सिविलियन पेंशनधारक और 26,79,645 सशस्त्र बलों के पेंशनधारक शामिल थे। समिति को आगे यह ज्ञात हुआ कि बजट अनुमान (बीई) 2022-23 में रक्षा मंत्रालय को आवंटित 5,25,166.15 करोड़ रुपये के कुल बजट में से, 1,19,696 करोड़ रुपये की राशि अर्थात पूरे रक्षा बजट का 23 प्रतिशत रक्षा पेंशन के लिए निर्धारित किया गया है। समिति को यह बताया गया है कि बीई 2021-22 (1,15,850 करोड़ रुपये) की तुलना में बीई 2022-23 (1,19,696 करोड़ रुपये) में 3846 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता पेंशन में सामान्य वृद्धि और महंगाई भत्ता के प्रभाव के कारण है। समिति यह आशा व्यक्त करते हुए कि बजट अनुमान 2022-23 के लिए रक्षा पेंशन शीर्ष के अंतर्गत मंत्रालय को आबंटित की गई निधियां भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगी, फिर भी यह सिफारिश करती है कि पेंशनधारकों की संख्या में वृद्धि और संशोधित महंगाई भत्ता के कारण पेंशन राशि में वृद्धि के उचित आकलन के बाद, संशोधित अनुमान चरण में अतिरिक्त निधियों की मांग की जा सकती है।

<u>स्पर्श-पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली (रक्षा)</u>

38. समिति को सूचित किया गया कि सेना, नौसेना, वायु सेना सहित 41 रक्षा नागरिक संगठनों के लिए 'स्पर्श' नामक एक वेब आधारित सहक्रियात्मक पेंशन संवितरण प्रणाली शुरू की गई है। यह सरकार का सबसे बड़ा पेंशन प्लेटफॉर्म है जिसमें 33 लाख पेंशनधारकों को शामिल किया गया है, और जिसमें हर साल लगभग 85,000 पेंशनधारक को जोड़ा जाता है। स्पर्श के अंतर्गत, कुल 49,073 दावे किए गए हैं और अब तक 36,556 को मंजूरी मिली है। 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के दौरान सेवानिवृत्त हुए पुराने पेंशनधारकों के संबंध में 4,84,650 पेंशनधारकों को विभिन्न पेंशन संवितरण एजेंसियों (पीडीए) से अंतरित किया गया है। इसके अलावा, मौजूदा बैंकों से शेष पेंशनधारकों का अंतरण भी प्रक्रियाधीन है। समिति नोट करती है कि

पेंशन की केंद्रीकृत स्वीकृति और संवितरण, पेपरलेस प्रोसेसिंग, पेंशन की मंजूरी से पहले ही पेंशनधारकों के आंकड़ों का सत्यापन, प्रत्येक पेंशनधारक के लिए समर्पित पोर्टल खाते, पेंशनधारकों की पहचान का डिजिटल प्रक्रिया, पेंशनधारकों द्वारा बार-बार आने की आवश्यकता को दूर करने, बजट प्रबंधन और रियल टाइम व्यय ट्रैकिंग के माध्यम से नियंत्रण जैसे लाभ स्पर्श के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप परिकल्पित किए गए हैं।

39. समिति रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा पेंशनधारकों के लिए स्पर्श के कार्यान्वयन में किए जा रहे बड़े कार्य की सराहना करती है क्योंकि यह 'डिजिटल इंडिया' के मिशन को पूरा करने में तेजी लाएगा। इसके अतिरिक्त, पेंशन स्वीकृति, संवितरण, संशोधन, बजट और लेखापरीक्षा के लिए एकल अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर होने के कारण स्पर्श निश्चित रूप से पेंशन संवितरण एजेंसियों (पीडीए) और अन्य प्राधिकरणों की संख्या में कमी लाएगा और बहुमूल्य संसाधनों और समय की बचत के अलावा पूरी पेंशन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। समिति मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए उत्तर से यह नोट करती है कि मौजूदा पीडीए से पुराने पेंशनधारकों के अंतरण से संबंधित कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। समिति यह सिफारिश करती है कि शेष पेंशनधारकों के अंतरण का कार्य यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए और प्रणाली को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए स्पर्श के प्रयोक्ताओं से समय-समय पर इनपुट/फीडबैक लिया जाना चाहिए। समिति इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि बड़ी संख्या में रक्षा पेंशनधारक और उनके परिवारजन (एनओके) ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं और उनके पास तकनीकी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा ऐसे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को स्पर्श में अंतरण करने में सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं और यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए कि ऐसे पेंशनधारकों और उनके परिवारों को तकनीकी जागरूकता और डिजिटल सुविधाओं के अभाव में कोई वित्तीय नुकसान न हो। इसके

अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा स्पर्श मोबाइल एप्लिकेशन शुरू करने की व्यवहार्यता का भी पता लगाया जा सकता है ताकि पेंशनधारकों और उनके परिवारों को स्पर्श द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का आसानी से लाभ मिल सके।

समान रैंक समान पेंशन (ओआरओपी)

40. समिति नोट करती है कि समान रैंक समान पेंशन (ओआरओपी) का तात्पर्य यह है कि समान सेवा की अवधि वाले एक ही रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा बलों के कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर ध्यान दिए बिना समान पेंशन का भुगतान किया जाए जिसका अर्थ है वर्तमान और पुराने पेंशनधारकों की पेंशन की दरों के बीच के अंतर को आवधिक अंतराल पर समाप्त किया जाए। ओआरओपी को दिनांक 1-07-2014 से एमओडी के दिनांक 07-11-2015 के आदेश के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। समिति आगे यह भी नोट करती है कि ओआरओपी के कार्यान्वयन पर 7,123 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से सात वर्षों से अधिक समय तक लगभग 50,000 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं और इस योजना के अंतर्गत 20,60,220 रक्षा बल पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक लाभान्वित हुए हैं। ओआरओपी पर एक सदस्यीय न्यायिक समिति (ओएमजेसी) की सिफारिशों की जांच करने के लिए आंतरिक समिति की रिपोर्ट मंत्रालय में जांचाधीन है। समिति को यह भी बताया गया कि पूर्व सैनिकों के एक समूह द्वारा न्यायालय में प्रत्येक पांच वर्ष में पेंशन के आवधिक रूप से बराबर किए जाने और कुछ अन्य मुद्दों के विरुद्ध एक याचिका दायर की गई है । इस संबंध में समिति को ज्ञात हुआ है कि उच्चतम न्यायालय ने ओआरओपी से संबंधित याचिका में अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। इसके आलोक में, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि ओआरओपी के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और मंत्रालय की तदनुरूपी कार्रवाई की सूचना समिति को दी जाए, यदि ऐसा संभव नहीं है तो को यथाशीघ्र की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करते समय ही अवश्य दी जाए। समिति यह भी सिफारिश करते हैं कि

ओआरओपी पर आंतरिक समिति की रिपोर्ट की जांच में तेजी लाई जाए और मंत्रालय सशस्त्र बलों के कार्मिकों के पेंशन में विसंगतियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए। मंत्रालय हुए सभी हितधारकों की उचित चिंताओं का समाधान करे और समिति को सूचित करे ।

सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी)

41. **समिति को अनुदानों की मांगों पर विचार-विमर्श के दौरान बताया गया कि ब्रिगेडियर और उनके समकक्ष अधिकारी सहित रक्षा बलों के सभी रैंकों के कार्मिक अपने वेतन के अलावा सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी) से संबंधित वित्तीय लाभों के लिए पात्र हैं। एमएसपी को महंगाई भत्ते और पेंशन की गणना के लिए को मूल वेतन माना जाता है। समिति ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के साक्ष्य से नोट किया है कि एमएसपी के कारण कुछ विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं जिसके कारण कनिष्ठ रैंकों को वरिष्ठ रैंकों की तुलना में अधिक भुगतान किया गया है। समिति आगे नोट करती है कि इस मामले पर रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) के साथ चर्चा की जा रही है और न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर इस मुद्दे को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि यह मामला बलों के मनोबल और वरिष्ठता के आधार पर अधिकारों के संरक्षण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, अतः समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय जल्द से जल्द मामले के समाधान के लिए न्यायालय द्वारा दी गई समय-सीमा का पालन करे और तदनुसार समिति को अवगत कराए।**

<u>चिकित्सा आधार पर रक्षा प्रशिक्षण अकादमियों/संस्थानों से हटाए गए (बोर्ड किए गए) कैडेटों का कल्याण</u>

42. समिति को यह नोट करके खेद है कि इस संबंध में पूछे गए लिखित प्रश्न कि एनडीए, आईएमए, वायु सेना, नौसेना अकादमियों आदि जैसे विभिन्न रक्षा प्रशिक्षण अकादमियों/संस्थानों में प्रशिक्षण के दौरान चोट लगने के कारण सैन्य सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य घोषित किए गए कैडेटों की संख्या कितनी है और क्या ऐसे कैडेटों को विकलांगता पेंशन या कोई अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, के उत्तर में मंत्रालय ने कोई जानकारी नहीं दी । अतः समिति यह सिफारिश करती है कि उनके द्वारा मांगी गई विस्तृत जानकारी उनके अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाए। इस जानकारी को न रखे जाने की स्थिति में, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय इस संबंध में कार्रवाई करे और तदनुसार समिति को सूचित करे।

43. समिति को सूचित किया गया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान औसतन लगभग 11 से 12 कैडेटों को प्रशिक्षण संबंधी समस्याओं और दुर्घटनाओं आदि के कारण हुए विकलांगता के कारण हटाया गया है। कैडेटों को चिकित्सा के आधार पर हटाए जाने पर प्रदान किए जाने वाले अनुग्रह लाभों में 16,200 रुपये प्रति माह का अनुग्रह विकलांगता राशि (100% विकलांगता के लिए, समानुपातिक रूप से कम किया जाता है) के साथ महंगाई भत्ता , 9000 रुपये की मासिक अनुग्रह राशि के साथ महंगाई भत्ता और 6,750 रुपये प्रति माह का सतत परिचर्या भत्ता (केवल 100% विकलांगता के लिए) शामिल है। इसके अलावा, सेना समूह बीमा कोष (एजीआईएफ) मृत्यु की स्थिति में कुछ बीमा कवरेज प्रदान करता है। समिति को सूचित किया गया है कि एजीआईएफ के अंतर्गत बीमा कवरेज बढ़ाने के प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है। समिति का यह विचार है कि ऐसे निशक्त कैडेटों/कोर के पुनर्वास/पुनर्व्यवस्थापन के लिए समुचित वित्तीय लाभ और अन्य अवसर प्रदान न करने से न केवल युवा बलों में शामिल होने से हतोत्साहित होंगे बल्कि

सशस्त्र बलों में पहले से मौजूद रिक्तियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। ऐसे कैडेटों जिन्होंने सशस्त्र बलों में शामिल होकर देश की सेवा करने का निर्णय लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कतिपय चिकित्सा कारणों से हटाए गए थे, के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को प्रोत्साहित करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) और कैंटीन स्टोर्स विभाग (सीएसडी) की सुविधाएं भी ऐसे कैडेटों को प्रदान की जा सकती हैं। समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा जीवनयापन और मुद्रास्फीति की मौजूदा लागत के आधार पर चिकित्सकीय रूप से हटाए गए कैडेटों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए और ऐसे कैडेटों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में उपयुक्त वृद्धि की जानी चाहिए। विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर, सरकार द्वारा ऐसे उम्मीदवारों, जिन्होंने जोखिम उठाया था और प्रशिक्षण अवधि के दौरान अनजाने में घायल/चोटिल हो गए थे, को सिविल नौकरियों सहित किसी प्रकार का रोजगार प्रदान करने के लिए भरसक प्रयास किए जाने चाहिए और सभी अवसरों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।